

# दोहा घोषणापत्र और दवाओं तक पहुंच

बौद्धिक संपदा के व्यापारिक पहलुओं से संबंधित समझौते (ट्रिप्स) तथा जनस्वास्थ्य से संबंधित घोषणापत्र (दोहा) दरअसल कुछ ऐसे विशिष्ट सरोकारों के प्रत्युत्तर हैं जो स्वास्थ्य के क्षेत्र में बौद्धिक संपदा अधिकारों को लागू करने के बारे में उठे थे। लेकिन, दवाओं तक पहुंच के मामले में उठे सवालों का यह एक आधा-अधूरा सा जवाब है, क्योंकि यह स्वास्थ्य के क्षेत्र में उत्पादन-पेटेंटों को लागू करने के प्रयासों और प्रासंगिकता के प्रश्नों को संबंधित नहीं करता। गौतरलब है कि पेटेंट दरअसल दवा उद्योग में निजी क्षेत्र के विकास को बढ़ावा देने के लिए एक तरह का प्रोत्साहन है। पेटेंट हई दवाओं पर एकाधिकार ब्रिटन करने के पीछे तर्क यह है कि नई दवाएं विकसित करने में काफी खर्च आता है, जबकि पहले से मौजूद दवा की नकल करना अपेक्षाकृत आसान काम है।

गौतरलब है कि निजी उद्योगों द्वारा निरंतर पेटेंटों की सुरक्षा के आधारों के बाबजूद अनेक विकसित और विकासशील देशों ने पारंपरिक तौर पर जननीति को आधार बनाते हुए दवाओं के पेटेंटों पर कुछ अंकुश लगा रखा थे। मसलन १९७० के पेटेंट अधिनियम के तहत स्वास्थ्य के क्षेत्र में व्यावसायिकतरण को सीमित करने के लिए दवाओं के उत्पाद पेटेंटों पर कुछ नियंत्रण लागू किए थे। लेकिन, ट्रिप्स समझौता भारत जैसे उन देशों को जिन्होंने पेटेंटों पर कुछ नियंत्रण लागू किए हुए थे, अपने पेटेंट कानूनों में बूत्यावृद्धि बढ़ावा लेने के लिए मन्यवर कर रहा है। दरअसल पेटेंट स्वास्थ्य के क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। प्रयत्नम, वे नयी दवाओं के विकास व उत्पाद में निजी क्षेत्र की सक्रियत की पूर्व शर्त है। दूसरे, वे पेटेंट धारकों को संपूर्ण अधिकार देते हैं और बाजार में एकाधिकार की इस स्थिति से लाभ उठाते हैं। इसका सीधा नत्तलब है कि पेटेंट हई दवाएं बेचने वाली कंपनियों उन दवाओं के मूलत्वाधारण में काफी अहम भूमिका अदा करती हैं। दवा खरीदने वाले भी बाजार आदानी के नजरिये से देखें तो पेटेंट दवाएं अक्सर साधारण दवाओं के मुकाबले झूम्ही होती है। लेकिन पेटेंट की केन्द्रीय भूमिका का यह अर्थ नहीं कि दवाओं तक मरीजों की पहुंच को नियंत्रित करने वाला एकमात्र कारक वही है। बस्तुतः इसके लिए दूसरे अनेक कारक हैं, मसलन दवाओं के वितरण से से जुड़े मसलों के अलावा दवा-मूल्य नियंत्रण आदेश, कानूनी और नीतिगत दस्तावेज हैं जिनके जरिये सरकार मूलों को नियंत्रित कर सकती है।

दवा उद्योग के नजरिये से पेटेंट आविष्कारों के मामले में महत्वपूर्ण की भूमिका निभाते हैं। यानी उत्पादन पेटेंटों को लागू करने वा मामला सीधे सीधे दवाओं तक पहुंच के मसलों से संबंधित है जो खुद स्वास्थ्य के मानवाधिकार का एक अहम तत्व है। मानवाधिकारों के नजरिये से, जितना महत्वपूर्ण उन रोगों के लिए नयी दवाएं प्रस्तुत करना है जिनके लिए दवाएं मौजूद नहीं हैं, उतना ही महत्वपूर्ण है मौजूदा दवाओं तक पहुंच का होना। दोनों ही मामलों में विकासशील देशों की स्थिति काफी खराब है। दवाओं की उपलब्धता के मामलों में समस्या की गंभीरता का अदाना एचआईवी (ईड्स) के संदर्भ से बहुबी हो जाता है। आकलन के अनुसार विकासशील देशों में एचआईवी (ईड्स) से ग्रास ३० प्रतिशत से भी कम लोगों की पहुंच एस्ट्रीरियोटापल व्यक्तित्व तक है। और जहां तक अविष्कारों का तालिका है, वह बात साफ हो रुकी है कि विकसित देशों में पेटेंट की



व्यवस्था होने के बाबजूद, वहां की दवा कंपनियों ने विकासशील देशों की विशिष्ट बीमारियों के लिए दवाएं विकसित करने में कोई लिंगवल्सी भूमिका का यह अर्थ नहीं कि दवाओं तक मरीजों की पहुंच को नियंत्रित करने वाला एकमात्र कारक वही है। बस्तुतः इसके लिए दूसरे अनेक कारक हैं, मसलन दवाओं के वितरण से से जुड़े मसलों के अलावा दवा-मूल्य नियंत्रण आदेश, कानूनी और नीतिगत दस्तावेज हैं जिनके जरिये सरकार मूलों को नियंत्रित कर सकती है।

दवा उद्योग के नजरिये से पेटेंट आविष्कारों के मामले में महत्वपूर्ण की भूमिका निभाते हैं। यानी उत्पादन पेटेंटों को लागू करने वा मामला सीधे सीधे दवाओं तक पहुंच के मसलों से संबंधित है जो खुद स्वास्थ्य के मानवाधिकार का एक अहम तत्व है। मानवाधिकारों के नजरिये से, जितना महत्वपूर्ण उन रोगों के लिए नयी दवाएं प्रस्तुत करना है जिनके लिए दवाएं मौजूद नहीं हैं, उतना ही महत्वपूर्ण है मौजूदा दवाओं तक पहुंच का होना। दोनों ही मामलों में विकासशील देशों की स्थिति काफी खराब है। दवाओं की उपलब्धता के मामलों में समस्या की गंभीरता का अदाना एचआईवी (ईड्स) के संदर्भ से बहुबी हो जाता है। आकलन के अनुसार विकासशील देशों में एचआईवी (ईड्स) से ग्रास ३० प्रतिशत से भी कम लोगों की पहुंच एस्ट्रीरियोटापल व्यक्तित्व तक है। और जहां तक अविष्कारों का तालिका है, वह बात साफ हो रुकी है कि विकसित देशों में पेटेंट की

उपकरण ट्रिप्स हैं। यह विश्व व्यापार संगठन के जरिये हुई संधियों में से एक है, इसलिए इसका उद्देश्व विश्व व्यापार के अवसरों में बढ़िया करना है। लेकिन इसमें कुछ अपेक्षा और शर्त भी शामिल हैं। मसलन, ट्रिप्स की लक्ष्य संबंधी धारा में वह प्रावधान है कि बौद्धिक संपदा विकासशील देशों में लागू करने पर दवा उद्योग को व्यापक रूप से विकसित करने के खास रोगों के लिए दवाएं विकसित करने में खासा प्रोत्साहन मिलने की विपुल संभावनाएं हैं, लेकिन गरीबों में क्रय शर्त का अभाव होने के अलावा इन्हें अन्य कारणों से यह सुनिश्चित नहीं हो सकता कि दवाओं के अविष्कार में निजी क्षेत्र की निरंतर अहम होती भूमिका के कारण वह उन रोगों को विसकित करेगा जो ज्यादातर विकासशील देशों के गरीबों को होते हैं।

नियंत्रण लोगों वाली पेटेंट नीति की सकासात्कर प्रभाव भारत में साफ दिखालाई देते हैं। आजानी के पहले दशक में भारत में दवाओं पर उत्पादन पेटेंट व उसकी प्रक्रिया की मौजूदी से संबंधित है। लेकिन ये बहसे स्वास्थ्य के क्षेत्र में पेटेंट के बुनियादी सवाल को संबोधित नहीं करती है। ये व्यापक रूप से समान ढंग से पेटेंटों का लागू कर सकने की विभिन्न पद्धतियों की जांच पड़ताल भर करती है। कुछ देश वहां के लिए इसके कुछ अपवादों और शर्तों को मावर्षनक स्वास्थ्य के लक्ष्यों को आगे बढ़ावा देने के लिए इस्तेमाल कर चुके हैं। कम से कम दो मामलों में पेटेंट धारकों के हितों और रार्साइनिक स्वास्थ्य के स्रोकारों व स्वास्थ्य के मानवाधिकार में संतुलन बनाने की राष्ट्रीय कोशिशें बढ़े

कानूनी विवादों को जन्म दे चुकी हैं। दक्षिण अफ्रीका पहला देश था जहां स्वास्थ्य संबंधी तृफान उठ खड़ा हुआ। वहां एचआईवी (ईड्स) संक्रमण की दर में भारी बढ़िया हुई। नतीजन सरकार ने १९९७ में दवा व संबंधित पदार्थ नियंत्रण संसदीय अधिनियम पारित कर दिया जो दवाओं की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए एक दवा व संबंधित नदी धारा जेडी गई। इसके अनुसार सरकार पेटेंट अधिनियम के प्रावधान नजर अंदाज कर सकती है और यह “नियंत्रित कर सकती है कि गणतंत्र द्वारा प्रदत्त पेटेंट के अंतर्गत किसी भी दवा पर अधिकार ऐसी दवाओं से संबंधित अधिनियमों पर लागू नहीं होंगे जो बाजार में उनके मालिकों द्वारा लाइ गई हैं।” दवाओं की उपलब्धता बढ़ाने और उन्हें सस्ता बनाने के लिए पेटेंट अधिकारों का नजरअंदाज करने वाली धारा १५ सी’ ट्रिप्स के कायदे कानूनों के काफी विपरीत जाती है। नतीजन, दवाएं बनाने वाली कंपनियों के एक समूह ने इसे जबरदस्त चुनौती दी। याचिका में मांग गई गई कि धारा १५ सी’ को असंबोधित घोषित किया जाए क्योंकि यह सरकार को वे परिस्थितियां तय करने की छोट देंटी है जिनमें पेटेंट अधिनियम द्वारा प्रदत्त शक्तियों में कौटूम्बी की जा सकती है। साथ ही यह सरकार को यह नियंत्रित करने की शक्ति भी देनी है कि पेटेंट अधिनियम द्वारा प्रदत्त अधिकार किस स्त्रीमा तक लागू होंगे। जनता के मजबूत विरोध के चलते अन्ततः अग्रील २००१ में इस याचिका को वापस ले लिया गया। इस अवसर पर जारी हिंसावी व्यवहार में कहा गया कि सरकार ट्रिप्स के तहत स्वयं पर अवध विधियों का पालन करेगी, जबकि दवा कंपनियों ने इस बात का समर्थन किया कि दक्षिण अफ्रीका जनस्वास्थ्य की सुरक्षा तथा दवाओं तक पहुंच को विस्तार देने के लिए आवश्यक कदम उठा सकती है।

अनिवार्य लाइसेंस व्यवस्था के कारण ब्राजील भी अमेरिका के साथ एक विवाद में उल्जा। अमेरिका ने विशेषकर इस प्रावधान पर आपत्ति की थी कि जब तक आधिक संभाव्यता व्यवहार में साधित नहीं कर दी जाती, आविष्कारक को ब्राजील में ही दवा का निर्माण करना होगा और यह एसा जिसके बावजूद आपात नहीं किया जाता तो वह दवा अनिवार्य लाइसेंस के तहत आपात नहीं किया जाएगी। अमेरिका ने दलील दी कि यह ट्रिप्स की उस शर्त का उल्जन है जिसके तहत यह पेटेंट धारक का चुनाव है कि वह दवा को आवायत करे या सानीयों तक तोर पर बनाए। जून २००१ में अमेरिका ने विश्व व्यापार संगठन के वैनल को इस समझ के तहत हडा लिया कि ब्राजील जब किसी अमेरिकी कंपनी के विश्व अनिवार्य लाइसेंस के प्रावधान का इस्तेमाल करेगा, पहले अमेरिका से बात करेगा। अंततः ट्रिप्स समझौते में स्वास्थ्य की जगह के सवाल पर विचार करने के लिए २००१ में मंत्रियों का सम्मेलन आयोजित किया गया जिसमें की गई घोषणा को दोहा बैठक के बाद अपनाया गया। यह घोषणा इस स्वीकृति की ओर एक कदम है कि बौद्धिक संपदा के अधिकारों के मामले को स्वास्थ्य संरक्षकारों से अलग करके नहीं देखा जा सकता। घोषणा का मुख्य महत्व इस बात में निहित है कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में पेटेंट अधिकारों की मौजूदी जन स्वास्थ्य की सुरक्षा के लिए कदम उठाना में बाधक नहीं है। (वरदा)